न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़।
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2588/2021
CNR NO.UPAL010054572021

1. सोनू सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह
2. राजेश पुत्र सोनपाल
3. सुनील पुत्र सोनपाल
4. नीरेन्द्र उर्फ नरेन्द्र पुत्र रामदयाल
5. सतीश पुत्र एदल
6. राजपाल पुत्र राम सिंह
7. यशवीर पुत्र किशना

समस्त निवासीगण आदमपुर थाना टप्पल जिला अलीगढ़

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

<u>आदेश दिनांक 04–06–2021</u>

गिरफतारी की आशंका के आधार पर यह प्रार्थना पत्र आवेदकगा/अभियुक्तगण **सोनू सिंह, राजेश, सुनील, नीरेन्द्र उर्फ नरेन्द्र, सतीश, राजपाल व यशवीर** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 197/2021 अर्न्तगत धारा 147, 148, 149, 452, 307, 323, 504, 506 भादसं थाना टप्पल जिला अलीगढ़ में अग्रिम जमानत स्वीकार किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता ''फौजदारी'' को जरिये वीडियो कान्फ्रेन्सिंग सुना एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा सुदेश शर्मा ने इस आशय की लिखित तहरीर प्रस्तुत की कि प्रार्थी पक्ष ने गॉव के प्रधानी चुनाव में सोनू पुत्र त्रिलोक को वोट नहीं दी थी जिससे खफा होकर दिनांक 2–5–2021 की रात्रि 9.40 बजे के करीब उसके गॉव आदमपुर के त्रिलोक पुत्र राय सिंह सोनू पुत्र त्रिलोक सिंह, राजेश, सुनील पुत्रगण सोनपाल व नीरेन्द्र पुत्र रामदयाल व सतीश पुत्र एदल व राजपाल पुत्र राम सिंह व यशवीर पुत्र किशना लाठी डण्डा सरिया फरसा कट्टा तमंचा लेकर बुरी बुरी गालियां देते हुए प्रार्थी के घर में घुस आये और उपरोक्त सभी लोगों ने लात घूसों लाठी डण्डों से हमला कर प्रार्थी के पिता अमीचन्द और भाई मूला उर्फ दिगम्बर व तहेरे भाई केशव पुत्र रामेश्वर पर जान लेवा हमला कर दिया। सोनू व नीरेन्द्र ने फरसा से मेरे पिता और भाई मूला उर्फ दिगम्बर के सिर में एवं तहेरे भाई केशव के दांये हाथ में सोनू ने फरसा से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया फिर ये लोग विष्णु पुत्र खचेरा, पप्पू पुत्र शंकर के घर में घुस गये और इन लोगों ने लाठी डण्डा सरिया से विष्णु पप्पू और हूरन पर जान लेवा कर दिया सोनू ने फरसा से पप्पू के सिर में हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया है। मौके पर अमित पुत्र कन्हैया, मुकेश पुत्र रामेश्वर, आदि गॉव के लोग आ गये वाका देख हम लोगों को बचाया है। इन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी है। इस घटना से हम लोगों के सिर, हाथ, पसली व शरीर में अन्य जगह काफी खुली व गुम चोटें आयी हैं। मतदान से एक दिन पूर्व राजेश व सुनील के भुक्का ने प्रार्थी को सोनू के पक्ष में वोट न डालने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं उन्हें गॉव की पार्टी बन्दी के कारण झूठा फंसाया गया है। घटना का कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही गॉव की प्रधानी का चुनाव बताया गया है। तथाकथित घटना की रिपोर्ट 16 घण्टे विलम्ब से लिखायी गयी है और विलम्ब का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है जबकि घटना स्थल से थाने की दूरी मात्र 7 किमी है। घटना में कोई आग्नेयास्त्र का प्रयोग होना प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। लाठी डंडों व फरसा से चोट आना बताया है जबकि फरसा की कोई चोट नहीं है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ मात्र प्राथमिकी की छाया प्रति संलग्न की गई है जिसके अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा वादी के घर के अंदर घुसकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से लाठी डण्डों व फरसा से प्रहार से प्रहार कर वादी व उसके परिवारीजन को

घायल किये जाने का आक्षेप है। इस स्तर पर केस डायरी के उपलब्ध परचों के साथ संलग्न आघात आख्या के अनुसार रामेश्वर को 04 चोटें, अमीचन्द को 06 चोटें, खचेरा को 05 चोटें आने का उल्लेख है। उक्त चोटों की प्रकृति एवं प्राथमिकी में लगाये गये आक्षेप गंभीर प्रकृति के हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा चुनाव में वोट न दिये जाने को लेकर वादी मुकदमा के घर में घुसकर मारपीट की गयी है। चुनाव में वोट दिये या न दिये जाने को लेकर मारपीट करना लोकतात्रिंक प्रक्रिया व लोकतंत्र को विपरीत रूप से प्रभावित करता है। अभियुक्तगण का यह कृत्य दुःसाहसिक प्रकृति का है। इस स्तर पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने से विवेचना के विपरीत रूप से प्रभावित होने एवं अभियुक्तगण द्वारा गवाहों को धमकाने व प्रभावित करने की युक्तियुक्त सम्भावना है परिणामस्वरूप अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

अतः प्रस्तुत मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थिति, अभियोग की प्रगकृति एवं उसकी गम्भीरता तथा चुटैलों को आयी चोटों को दृष्टिगत रखते हुए मेरे विचार से आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

तदनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण **सोनू सिंह, राजेश, सुनील, नीरेन्द्र उर्फ नरेन्द्र, सतीश, राजपाल व यशवीर** का यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2588/2021 निरस्त किया जाता है।

दिनांक 04–06–2021

प्रभारी अधिकारी,
सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़
ID No.UP 2697